

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 257

राजस्व विभाग

दिनांक 23.03.2018

प्रश्नकर्ता का नाम : माननीय विधायक श्री जगदीप सिंह जी

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

| क्र.सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---------|--|---|
| क. | क्या यह सत्य नहीं है कि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विधानसभा क्षेत्र एसी 28 के लिए 19 एस्टीमेट ड्रूडा को भेजे गए थे जिनमें से केवल 4 ही स्वीकृत हुए हैं, | वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान एसी 28 के लिए कुल 17 एस्टीमेट प्राप्त हुए जिनमें से 04 एस्टीमेट स्वीकृत हुए। 02 एस्टीमेट अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) ना मिलने के कारण अस्वीकृत किये गए। 04 एस्टीमेट ड्रूडा कि मार्गदर्शिका के अनुसार ना बने होने कि वजह से स्वीकृत नहीं हो पाए जिनके लिए e-mail द्वारा निष्पादन एजेंसी एवं विधायक महोदय को सूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त 7 एस्टीमेट दिनांक 23/12/2017 को प्राप्त हुए जिन्हें, मंत्रिमण्डलीय निर्णय संख्या 2518 दिनांक 13.10.2017 के तत्वधान में जारी शहरी विकास विभाग के आदेश दिनांक 13.12.2017 के अनुसार(12/12/2017 के पश्चात् प्राप्त कार्य/एस्टीमेट) शहरी विकास विभाग द्वारा किया जाना है। |
| ख. | यदि हां, तो शेष एस्टीमेट लंबित रहने का क्या कारण है, और | उपरोक्त |
| ग. | इस विलंब के लिए क्या कार्रवाई की गई है? | उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं। |

उप मण्डलीय दण्डाधिकारी (मुख्यालय)

P. R. KAUSHIK
Sub Divisional Magistrate-I (Hq)
Revenue Department
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-110054